तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स छब्बीराम vs रामलखन व0अ0 T-9.	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
18/2/20	वकील फरीकैन उप0। पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 4/3/20 को पेश हो।	
4/3/20	वकील फरीकैन उप0। पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 18/3/20 को पेश हो।	
18/3/20	वकील फरीकैन उप0/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि0 29/4/20 को पेश है।	
29/4/20	कोरोना वायरस ~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 10/6/20 को पेश हो।	
10/6/20	Covid-19 ~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 22/7/20 को पेश हो।	
22/7/20	Covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 21/9/20 को पेश हो।	
21/9/20	Covid-19 के कारण पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 26/10/20 को पेश हो।	
26/10/20	वकील फरीकैन उप0। पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 28/10/20 को पेश हो।	
28/10/20	वकील फरीकैन उप0। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/11/2020 पेश हो।	
23/11/20	वकील फरीकैन उप0। बहस प्रार्थनापत्र पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से। नियमानुसार [illegible] किया जाये। पत्रावली फैसला [illegible]	

Court Dicision/440

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
05 / 19	अस्थायी निषेधाज्ञा	28.01.19	23.11.2020

1. ठण्डीराम पुत्र जगराम जाति मीना उम्र 62 साल निवासी खेड़ला की झोंपड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. फूलबाई पत्नि जगराम जाति मीना उम्र 70 साल निवासी खेड़ला की झोंपड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलखन पुत्र मुथरा ।
2. सीता पत्नि रामलखन ।
3. मीठी पत्नि मुथर्रा ।
4. जयसिंह पुत्र परसादी ।
5. लेखराज पुत्र परसादी ।

सभी जातिगण मीना निवासी खेडला की झोंपड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

6. बाबूलाल पुत्र कल्ला।
7. जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल।

जातिगण मीना निवासी मांगरोल तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना एड0 वकील प्रार्थीगण।
श्री मदनमोहन गुप्ता एड0 वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 958/1 रकबा 05 बीघा एवं खसरा नं0 960 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण की सैपरेट खातेदारी की आराजीयात है जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का तालोकात नही है और ना ही कभी रहा है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात मे फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण उक्त आराजयीयात मे आये दिन दखलन्दाजी करते चले आ रहे है तथा शान्तिपूर्वक फसल काश्त का लाभ नही लेने देते है। प्रार्थीगण दिनांक 02.01.2019 को उक्त आराजीयात मे फसल की बुवाई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गये तो अप्रार्थीगण हाथों में लाठी गंडासी लेकर मौके पर आये और आते ही ट्रैक्टर को खेत मे से भगा दिया और कहने लगे कि तुम्हे उक्त आराजीयात मे फसल काश्त नही करने देगें तथा फसल का उजाड़ देगें। ट्रैक्टर के आगे आकर लेट जाते है एवं झगड़ा फसाद करने को तैयार हो जाते है। अप्रार्थीगण ने एलानिया कहा कि आइन्दा तुम फसल काश्त करने आओगे तो तुम्हारे ट्रैक्टर मे आग लगा देगें। अप्रार्थीगण लट्ठ वाले व सहजोर व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 958/1 रकबा 05 बीघा वादीगण की खातेदारी की नही है बल्कि चरागाह सार्वजनिक भूमि है जिसके इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस सम्वत् 2072 से 75 वेग व निराधार है अवैध है जिसका घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी नं0 1 व 4 द्वारा माननीय जिला न्यायधीश करौली मे पेश किया था जो स्थानान्तरित होकर अपर जिला न्यायधीश करौली मे विचाराधीन है जो उनवानी आम नागरिक ग्राम खेडला एवं डांडा बनाम ठण्डी वगै0 मु0सं0 01/18 है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 958/1 चरागाह है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है और ना ही कभी रहा है। भूमि को हमेशा हमेशा से सैकड़ों वर्षो से मवेशीयों के चराने के लिए

Scanned with CamScanner

उपयोग उपभोग ग्रामवासीयान ग्राम पंचायत खेड़ला व अप्रार्थीगण लेते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने दावा एवं प्रार्थना पत्र झूठे एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी फोटो प्रति सम्वत 2072-75 ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा के अनुसार विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी होना दर्ज रिकार्ड है किन्तु पत्रावली मे उपलब्ध माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश करौली मे मुकदमा सं0 01/18 उनवानी आम नागरिकगण ग्राम खेड़ला वगैरहा बनाम ठण्डीराम वगैरहा के अनुसार खसरा नं0 958/1 से सम्बन्धित वाद विचाराधीन है। खसरा नं0 960 प्रार्थीगण की सेपरेट खातेदारी की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को केवल खसरा सं0 960 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं0 960 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खेड़ला तहसील सपोटरा मे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना किसी दीगर व्यक्ति से करावे। निर्णय आज दिनांक 23. 11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner